

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 भाद्र 1947 (श0) (सं0 पटना 1538) पटना, वृहस्पतिवार, 18 सितम्बर 2025

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना 10 सितम्बर 2025

सं० 12/न0वि0/होल्डिंग-01/2025/2861/न0वि0एवं0आ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127 के खंड (3) एवं धारा 419 की उपधारा (1) में निहित प्रावधान के आलोक में गैर आवासीय सम्पत्ति कर के निर्धारण के लिए वार्षिक किराया मूल्य के निर्धारण हेतु बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण, और वसुली) नियमावली, 2013 के नियम 4 के गुणक तालिका को निम्नवत संशोधित किया जाता है:-

क्रमांक	गैर–आवासीय धृति के प्रकार	गुणक
(i)	होटल, हेल्थ क्लब, जिमनाजियम, क्लब एवं विवाह–हॉल।	2
(ii)	कुटीर उद्योग, दुकान (500 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले) एवं गोदाम (1000 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले)।	1
(iii)	दुकान (ii के अतिरिक्त), शो—रूम, शोपिंग मॉल, सिनेमा, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां, अतिथिशाला, गोदाम (1000–3000 वर्ग फीट तक क्षेत्रफल वाले)।	1.5
(iv)	नर्सिंग होम, विलनिक, औषधालय, प्रयोगशाला (डायग्नोस्टिक सेंटर)।	1.5
(v)	वाणिज्यिक कार्यालय, वित्तीय संस्थान, बीमा कम्पनियों के कार्यालय, बैंक एवं निजी अस्पताल।	2
(vi)	उद्योग (कुटीर उद्योग से भिन्न), कार्यशाला, गोदाम (3000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल वाले), वेयर हाउस।	2
(vii)	राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के वैसे सभी प्रतिष्ठान और उपक्रम जो वाणिज्यिक, व्यावसायिक एवं वित्तीय गतिविधियों में संलग्न है।	2
(viii)	सभी प्रकार के कोचिंग क्लासेज, गाईडेंस एवं प्रशिक्षण केन्द्र एवं उनके छात्रावास।	1.5
(ix)	राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के कार्यालय जो वाणिज्यिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान या उपक्रम नहीं है।	1
(x)	निजी विद्यालय, निजी महाविद्यालय, निजी शोध संस्थान, अन्य निजी शैक्षणिक संस्थान एवं उनके छात्रावास।	1.5
(xi)	सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रकृति के स्थल, केन्द्र एवं संस्थाएँ।	0
(xii)	निर्धन शारीरिक रूप से अक्षम, महिलाओं तथा बच्चों के लाभार्थ पूर्त न्यासों न लाभ न हानि के आधार पर संचालित शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थान।	1
(xiii)	(i) से (xii) तक के अधीन अनाच्छादित कोई अन्य धृति।	1.5

2. उक्त तालिका के क्रमांक-IX से आच्छादित केन्द एवं राज्य सरकार के वैसे कार्यालय और प्रतिष्ठान जो गैर व्यावसायिक प्रवृति के हो, उन्हें होल्डिंग से छूट होगी। परन्तु उनसे सेवा शुल्क लिया जायेगा, जो उस होल्डिंग के लिए नियमान्सार निर्धारित उस होल्डिंग का 75 प्रतिशत होगा।

परन्तु क्रमांक XI में वर्णित होल्डिंग जो कि पूर्णतः धार्मिक उद्देश्यों में लाई जा रही है, संपत्ति कर से पूर्णतः मुक्त होगी।

3. **पुनर्निर्धारण**— विभाग द्वारा गुणक का सामान्य पुनरीक्षण समय—समय पर किया जायेगा।

4. यह अधिसूचना राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा संशोधन के लागू होने की तिथि से इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या— 5509 दिनांक—20.09.2023 निरस्त समझे जायेंगे तथा पूर्व में किये गये सभी भुगतान नये गुणक के दायरे से बाहर रहेंगे।

> बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय कुमार सिंह, सरकार के सचिव।

The 10th September 2025

No: 12/Udhd/Holding-01/2025/**2861**/ UDHD—As per the provisions of Section 127(3) and Sub-section (1) of Section 419 of the Bihar Municipal Act, 2007, and in accordance with Rule 4 of Bihar Municipal Property Tax (Assessment, Collection, and Recovery) Rules, 2013 of the Urban Development and Housing Department, the multiplying factor applicable to the Annual Rental Value is being amended as follows:

Sl. No.	Type of Non-Residential Holdings	Multiplying factor
(i)	Hotel, Health Club, Gymnasium, Club, and Marriage Hall	2
(ii)	Cottage Industry, Shops (up to 500 sq. ft.), and Godowns (up to 1000 sq. ft.)	1
(iii)	Shop (Other than ii), Showrooms, Shopping Malls, Cinema Halls, Bars, Multiplexes, Restaurants, Guest Houses and Godowns (1000-3000 sq. ft.)	1.5
(iv)	Nursing Homes, Clinics, Pharmacy and Research Laboratories (Diagnostic Centers)	1.5
(v)	Commercial Offices, Financial Institutions, Insurance Company Offices, Banks, and Private Hospitals	2
(vi)	Industries (except cottage industries), Workshops, Godowns (more than 3000 sq. ft.), and Warehouses	2
(vii)	All Central and State Government establishments engaged in commercial, business and financial activities	2
(viii)	Coaching Classes, Guidance Centers and Training Centers and their hostels	1.5
(ix)	Government offices (State and Central) that are not engaged in commercial or business activities or are not PSUs	1
(x)	Private Schools, Private Colleges, Private Research Institutes and other private educational institutions and their hostels	1.5
(xi)	Places, Centers and Institutions of Cultural and religious nature	0
(xii)	Educational and Social Institutions run by charitable trust on no-profit, no-loss basis for benefit of poor, physically challenged and for social security of women and children	1
(xii)	Any other holding not covered under (i) to (xii)	1.5

2. Those officers and establishments of the Central and State Government covered by serial number-ix of the above table, which are of non-commercial nature, will be exempted from holdings. But service charges will be taken from them, which will be 75% of that holding as prescribed for that holding as per rules.

But the holding mentioned in serial number xi which is being used entirely for religious purposes will be completely exempt from property tax.

- 3. **Review-** The department will periodically review the Holding taxation rates.
- 4. This notification will be effective from the date of publication in the Official Gazette. From the date of implementation of the amendment, the earlier notification number 5509 dated 20.09.2023 issued in this regard will be deemed to be cancelled and all payments made earlier will remain out of the purview of the new multiplier.

By the order of the Governor of Bihar, Abhay Kumar Singh, Secretary of the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 1538-571+200-डी0टी0पी0

Website: : https://egazette.bihar.gov.in